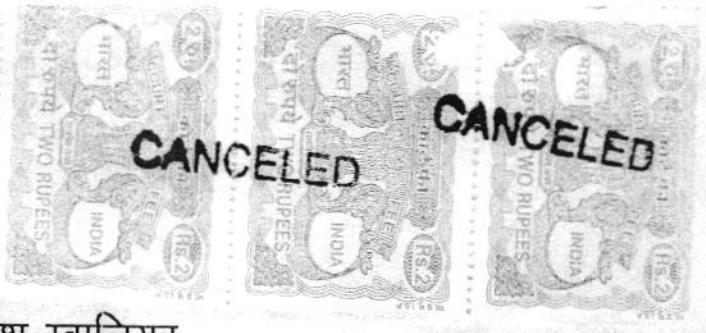

(29)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELED

CANCELED CANCELED

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी-3690/2018/भिण्ड/अ.र

प्र0क0 /18 निगरानी माल

श्री एम० पी० भटनागर अधि० द्वारा आज दि० 13.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25.6.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13.6.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Filed by
MP Bhatnagar Adv
13/6/18

1. रामकुमार, पुत्र बावूराम जाति कुशवाह
2. गुड़डीदेवी पत्नी रामकुमार जाति ठाकुर निबासी पचैरा, तहसील गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0हाल निबास वर्तमान गुहानी तहसील चकरनगर जिला इटावा उ0प्र0
3. राकेश सिंह पुत्र जिलेदार सिंह, आयु कमशः 45, 42, 34 बर्ष जाति ठाकुर निबासी ग्राम पचैरा तहसील गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0———————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. बिट्टी देवी पुत्री शीतल पत्नी राघवेन्द्र निबासी ग्राम पचोखरा मछण्ड, तहसील रोंन जिला भिण्ड म0प्र0
2. मीरा पुत्री शीतल पत्नी लखपति जाति ठाकुर निबासी हाल ग्राम ऊमरी तहसील माधौगढ़ जिला जालौन उ0प्र0

———————— नान निगरानी कर्ता

निगरानी बिरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 549/17–18 अ0मा0

(3)

में पारित आदेश दिनांक 14–3–18 से दुखित होकर।

धारा 50 म0प्र0भू– रा0सं0

श्रीमानजी,

सेवा में हम निगरानी कर्ता गण की निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य

1. यह कि ग्राम पचैरा तहसील गोरमी जिला भिण्ड में स्थित भूमि कमांक 320 रकवा 0.70, का निगरानी कर्ता कमॉक 3 भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है इसी आशय का इन्द्राज रिकार्ड आफ राइट्स में दर्ज है कृपया संलग्न इनेक्जर पी–1 अबलोकन हो।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तेहसीलदार गोरमी के समक्ष निगरानी कर्ता कमांक 1 द्वारा मृतक शीतल सिंह के फोत होने पर बसीयती बारिस के आधार पर नामान्तरण बावत् आवेदन पेश किया जो प्रकरण कमॉक 45/11–12 अ–6 पर दर्ज होकर तहसीलदार महोदय द्वारा बिधिबत उद्घोषणा जारी कर अपीलान्ट कमॉक एक के हक में दिनांक 9–7–12 को आदेश नामान्तरण बावत् पारित किया गया। उक्त आदेश के बिरूद्ध नॉन निगरानी कर्ता गण द्वारा एक अपील न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी मेंहगांव के समक्ष पेश की गयी जो प्रकरण कमॉक 14/14–15 अ0मा0 पर दर्ज हुयी और अनुबिभागीय अधिकारी मेंहगांव द्वारा दिनांक 1–2–2018 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बैद्य ठहराकर अपील निरस्त की गयी।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग आलोच्य आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धॉन्त का खुला उलघन कर हम निगरानी कर्ता गण को बिना सुनबाई व बिना सुने, बिना कोई सूचना दिये बाला बाला रूप से एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट/निगरानी कर्ता को दिनांक

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3690/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 549/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा पचेरा गोरमी स्थित भूमि सर्वे क्र. 320 रकवा 0.70 आरे के भूमिस्वामी शीतल सिंह द्वारा तैयार की गई वसीयत के आधार पर आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया। जो उनके आदेश दिनांक 09.07.2012 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस बात पर विचार नहीं किया गया कि उक्त भूमि वसीयतकर्ता की स्व-अर्जित संपत्ति थी, उसे वह वहन, विक्रय या विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस बात की पुष्टि सिविल न्यायालय सी.जे. प्रथम श्रेणी मेंहगांव के सिविल वाद क्र. 95ए/15 बिट्टीबाई	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विरुद्ध रामकुमार आदि के नाम से संचालित है, जिसमें आवेदकगण को आदेश दिनांक 08.02.2016 को स्वामी आधिपत्यधारी मान्य किया गया है, जिसका अवलोकन किया जाना अति आवश्यक है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसीलदार गोरमी के आदेश दिनांक 08.07.2012 कि तहत नामांतरण, वसीयत, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य वसीयतनामा प्रमाणित किया गया है, एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों की जांच अनुसार वसीयतनामा को सही बताया गया है। खसरा वर्ष 2017-18 में निगरानीकर्ता का नाम दर्ज है। इस कारण निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है। 4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार ने मृत व्यक्ति क वारिसों को बारीकी से परीक्षण किए बिना एवं मृत शीतल सिंह की संपत्ति पैतृक एवं स्वअर्जित संपत्ति की कोई विवेचना नहीं की और उन्होंने जिस वसीयत के आधार पर आदेश पारित किए उस वसीयत में जो हस्ताक्षर हैं वह फर्जी हैं। इस बात का फिंगर एक्सपर्ट से विवेचना लिए बिना फर्जी वसीयतगृहीता को लाभ पहुंचाया। इन सबका बारीकी से अपर आयुक्त ने परीक्षण किया इस कारण अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखा जावे। 5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है। प्रश्नाधीन संपत्ति की वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा आवेदक के पक्ष में की है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जाकर वसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में की है। अपर आयुक्त ने केवल इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया है कि वसीयत में दी गई संपत्ति स्वअर्जित है या पैतृक इसकी कोई विवेचना नही की गई है जबकि वसीयतकर्ता द्वारा	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3690/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपनी वसीयत में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति उसके द्वारा स्वयं क्रय की गई है। इसके अतिरिक्त अभिलेख में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मेंहगांव द्वारा उक्त व्यवहार वाद में पारित आदेश दिनांक 08.02.2016 की प्रति संलग्न है, जिसको देखने से स्पष्ट होता है विद्वान व्यवहार न्यायाधीश द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 39 नियम 1 व 2 को उनके पक्ष में ना होने के कारण निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में उक्त भूमि के संबंध में व्यवहारवाद प्रचलित है और व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा वह उभयपक्षों के साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा। अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाते हैं। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	